	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/03/25	पत्रावली वास्ते कार्यवाही प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि - * वादीगण के पिता प्रभु तथा कान्हा पिसरान औंकार की ग्राम चन्देसल में शामलाती काश्त की काश्तलीयात ख.नं. 456/717 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा स्थित थी। जिसमें कान्हा पुत्र औंकार का हिस्सा 1/2 एवं वादीगण के पिता प्रभु का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। * उक्त काश्तलीयात के वर्तमान में भू-प्रबन्ध विभाग ने ख.नं. 1384 रकबा 0.08 हैक्ट व ख.नं. 1385 रकबा 0.05 हैक्ट कायम किये हैं। उक्त खसरा नं. का उक्त रकबा भू. प्रबन्ध विभाग ने वादीगण व कान्हा के खाते दर्ज किया है। * यह कि पूर्व में वादीगण के पिता प्रभुलाल तथा प्रभुलाल के बड़े भाई कान्हा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें कान्हा के पुत्रों ने अपना 1/2 हिस्सा अलग दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म
	करवा दिया है। इस प्रकार तथ्य खसरा नं. 1384, 1385 का कुल रकबा 0.13 Hct दर्ज था, जिसमें कान्हा का 1/2 हिस्सा कान्हा की मृत्यु उपरान्त उसके पुत्रों के नाम दर्ज हो गया तब से कान्हा के पुत्र उस पर काबिज है तथा ख.नं. 1384 व 1385 का शेष 1/2 हिस्सा वादीगण के पास है।
	गत ख.नं. 456/717 का रकबा 0.13 Hct दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट ने स्टबन से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/आदेश के उक्त ख.नं. 456/717 का रकबा गत रकबे 1 बीघा 13 बिस्वा के अनुसार 0.26 Hct के स्थान पर 0.13 Hct दर्ज कर दिया। जबकि जमाबन्दी में अंकित इन्द्राज के मुताबिक खसरा नं. 456/717 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के अनुसार 0.26 Hct वर्तमान में खसरा नं. 1384 व 1385 वादीगण के खाते दर्ज होना चाहिए था।
	प्रार्थना :-
	उक्त आधार पर वादीगण द्वारा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

निवेदन किया गया है कि वादीगण के खाते गत खसरा नं. 456/717 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के बजाय नये खसरा नम्बर 1384 व 1385 का रकबा 0.13 Hct. के स्थान पर 0.21 Hct दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्ती कर वादीगण के खाते में तदानुसार लगान राज कायम किया जावे।

* वाद दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया।

* प्रतिवादी तहसीलदार चाकसुर द्वारा वाद का प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है कि -

⇒ गत सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2035-38 में खाता सं. 12 से कान्हा (बा), गोट्या, प्रभु (नाबा) पिता औंकार नाबालिग की वली माता के नाम निम्न भूमि दर्ज रिकार्ड थी.

ख.न.	रकबा.	किस्म
32	9 बी. 10 बिस्वा	बा.द्वि.
456	1बीघा 13 बिस्वा	चा.औ.
773/32	2 बीघा 9 बिस्वा	बा.के.

कुल किता 3, 13 बीघा 11 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
कां.

⇒ खाता सं 28 से कान्हा . प्रभु

पिसरान ओंकार के खाते निम्न

भूमि दर्ज रिकार्ड है -

ख.न.	रकबा	किस्म
457/700	5 बिस्वा	बा.
456/717	1 बीघा 13 बिस्वा	बा.
कुल किता . 2,	1 बीघा 18 बिस्वा	

⇒ इस प्रकार सेटलमेन्ट से पूर्व

कुल भूमि 15 बीघा 9 बिस्वा बनी।

⇒ इसके उपरान्त सेटलमेन्ट पश्चात्

संवत् 2038 . 57 में खाता सं . 41

से कान्हा (बालिग) गोट्या, प्रभु

(नाबा) पि . ओंकार के नाम से निम्न

भूमि दर्ज हुई -

ख.न.	रकबा	किस्म
109	0.17 Hct	न . प्र.
216	0.53 Hct	न . प्र.
217	0.74 Hct	न . प्र.
218	0.42 Hct	न . प्र.
1380	0.10 Hct	चा . नं.
1381	0.11 Hct	चा . नं.
1383	0.13 Hct	चा . नं.
किता . 07	2.20 Hct	

7

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

⇒ तथा खाता नं. 39 से कान्हा, प्रभु पिसरान ओंकार के खाते निम्न भूमि दर्ज हुई -

ख.नं.	रकबा
1379	0.05 Hrt
1384	0.08 Hrt
1385	0.05 Hrt
कुल किता 03	0.18 Hrt

⇒ इस प्रकार कुल भूमि 2.38 Hrt बनी, जबकि गत सेटलमेन्ट की भूमि 15 बीघा 9 बिस्वा अनुसार कुल भूमि 2.47 Hrt बननी चाहिए थी। इस प्रकार 0.09 Hrt की कमी रही।

⇒ उक्त ख.नं. 32 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा व 173/32 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के नये ख.नं. $\frac{216}{0.53}$, $\frac{217}{0.74}$, $\frac{218}{0.42}$ व $\frac{219}{0.17}$ कुल किता 4 रकबा 1.86 Hrt बना जबकि गत सेटलमेन्ट अनुसार वर्तमान में रकबा 1.91 Hrt बनना चाहिए था, इस प्रकार ख.नं. 216, 217, 218 व 219 में 0.05 Hrt की कमी रही है।

उपखण्ड अधिकारी को।

⇒ गत सेटलमेन्ट के नम्बर $\frac{457}{780}$, $\frac{456}{717}$ के नये ख.न. अनु
मिलान क्रमशः 1381, 1382, 1383,
1384 बनाये गए जो कि गत सेटलमेन्ट
की तुलना में 0.04 Hect का अन्तर है।
जो मौका, गत सेटलमेन्ट नक्शा
(2035-38) व वर्तमान सेटलमेन्ट
नक्शा अनुसार (2038-57) ख.नं.
1378 रकबा 0.11 Hect से पूर्ति
की जा सकती है।

* प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई -

① आया सेटलमेन्ट ने बिना किसी सक्षम
अधिकारी के आदेश ख.न. 456/717 रकबा
एक बीघा 13 बिस्वा के वर्तमान ख.नं.
$\frac{1384}{0.08 \text{ Hect}}$ व $\frac{1385}{0.05 \text{ Hect}}$ अंकित कर दिये है
इस प्रकार गत रकबे के अनुसार वादीगण
के खाते में 0.13 Hect रकबा दर्ज नहीं
किया गया है ? - वादीगण

② आया ख.न. 456/717 रकबा 1 बीघा

हुक्म की तामील में जारी हुए

13 बिस्वा व $\frac{457}{700}$ कुल किता 2 रकबा

1 बीघा 19 बिस्वा भूमि के नये ख.नं.

$\frac{1379}{0.05 हे.}$, $\frac{1384}{0.18 हे.}$ व $\frac{1385}{0.05 हे.}$ कुल किता

3 रकबा 0.18 हे. आराजी है। वर्तमान

सेटलमेन्ट नकशा अनुसार (2038-57)

ख.नं. 1378 रकबा 0.11 हे. से पूर्ति

की जा सकती है - प्रतिवादी

* बहस सुनी गई।

* हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों

का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा

बहस पर मनन किया।

* दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पर

मनन उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्न

प्रकार है -

* तनकी नम्बर - 01

तनकी नम्बर 01 को साबित करने का

भार वादीगण पर है. इस हेतु वादीगण

द्वारा जमाबन्दी संवत 2035-38, जमाबन्दी

संवत 2038-57, मिलान खसरा संवत

भूमि दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन प्रार्थीगण
द्वारा हस्तगत वाद केवल एक खसरा नं. 456/717
की एक बीघा 13 बिस्वा भूमि को
आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है.
जबकि प्रार्थी को वाद सम्पूर्ण भूमि के
सम्बन्ध में प्रस्तुत करना चाहिए था।

* प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि सेटलमेंट
पूर्व का खाता सं 12 कान्हा, गोप्या व
प्रभु के नाम से है, जबकि खाता सं. 28
कान्हा व प्रभु के नाम से है। तथा खाता
सं. 28 में खसरा नं. 457/700 रकबा
5 बिस्वा का नवीन नम्बर 1379 रकबा
0.05 Hect बनाया गया है. इस कारण वाद
केवल ख.नं. 456/717 के सन्दर्भ में प्रस्तुत
किया गया है। तथा मिलान क्षेत्रफल
अनुसार गत ख.नं. 456/717 के नवीन
नम्बर 1384 व 1385 बनाये गए है।

* लेकिन पत्रावली में संलग्न मिलान
क्षेत्रफल संवत् 2038-57 के अनुसार
गत खसरा नं. 457/700 का नवीन खसरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	2038 से 57, हाल जमाबन्दी नक्शा सेटलमेन्ट पूर्व व पश्चात् प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गत खसरा नं. 456/717 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2035.38 से प्रमाणित है, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038.57 अनुसार गत खसरा नं. 456/717 के नवीन खसरा नं. 1384 व 1385 बनाया जाना प्रमाणित है। गत 1 बीघा 13 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली में 0.26 Hect बनता है जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.13 Hect ही दर्ज किया गया है। अत: प्रार्थीगण 0.13 Hect आराजी की दुरुस्ती करवाने हेतु पूर्णतया पात्र है।
*	लेकिन पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि जमाबन्दी संवत् 2035.38 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दो खाते दर्ज थे। जिसमें कुल किता 05 की कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	1380 रकबा 0.10 Hct बनाया है वहीं गत खसरा नं. 456/717 के नवीन खसरा नं. 1379/0.05, 1384/0.08 व 1385/0.05 कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 Hct बनाया गया है। * मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित हो जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा गत खसरा नं. 456/717 से केवल ख.नं. 1384 व 1385 का बनना बताया गया है जबकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं. 456/717 से तीन खसरा नं. 1379, 1384 व 1385 बने है। * इसी प्रकार वादीगण द्वारा यह कथन कि सेटलमेन्ट पूर्व के दोनों खाते अलग-2 है, भी असत्य प्रमाणित होता है, क्योंकि गत खाता सं. 28 के खसरा नं. 457/700 का नवीन खसरा नं. 1380 रकबा 0.10 Hct

बनाया गया है तथा इसे दूसरे खाते में सम्मिलित कर दिया गया है.

* इस प्रकार यदि वादीगण द्वारा वाद पत्र में क्लेम किए गए खाते का मिलान किया जावे, तो निम्न स्थिति बनती है -

सेटलमेन्ट पूर्व		सेटलमेन्ट पश्चात	
ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा
457/700	5 बिस्वा →	1380	0.10
456/717	1 बीघा 13 बिस्वा →	1379	0.05
		1384	0.08
		1385	0.05
कुल - 1 बीघा 18 बिस्वा			0.28

* उक्त टेबल से प्रमाणित है कि दौराने बं. प्रबन्ध वादीगण का लगभग समान रकबा बनाया गया है.
* वादीगण द्वारा मात्र एक खसरा नं. को आधार बनाकर तथा उसमें भी मिलान क्षेत्रफल अनुसार समान खसरा नम्बरान को शामिल नहीं किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है.
* उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर
	तनकीह नम्बर 01 विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।
	<u>तनकीह नं. 02</u>
	* तनकीह नं. 02 को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर है।
	* तनकीह नं. 01 में विस्तृत विवेचन से यह प्रमाणित हो चुका है कि वादीगण द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि के स्थान पर मात्र एक खसरा नं. को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया है. तथा लिप्त स्थाने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है, उसके मिलान क्षेत्रफल के आधार पर भी
समस्त	नवीन खसरा नम्बरान को वाद पत्र में शामिल नहीं किया गया है।
	* तनकीह नं. 1 के विवेचन से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि वादीगण के हस्तगत रकबे में परिवर्तन ना होने के कारण वादीगण राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
(हस्ताक्षर)	* अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित अनुतोष कि नवीन खसरा नं. 1378 से पूर्ति की

हुक्म की तामील में जारी हुए

सकती है, खारिज किया जाता है।

* अनुतोष :-

तनकी नं. 01, वादीगण के विरुद्ध तय की गई है तथा तनकी नं. 02 में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित अनुतोष खारिज कर दिया गया है।

अतः उक्त निर्णयों से हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA खारिज किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

21/03/25

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★